

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

निर्वाचन अपील सं. 50/2020

अपीलांट—

बनाम

रेस्पोंडेंट—

पूनमाराम पुत्र खीयाराम जाति
बिश्नोई निवासी मीठडा खुर्द
तहसील धोरीमन्ना

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
(एस.डी.एम.) धोरीमन्ना
2. सहायक रिटर्निंग अधिकारी
(तहसीलदार) धोरीमन्ना

निर्वाचन अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 08.01.2020 द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) धोरीमन्ना जिसके तहत अपीलांट का नाम ग्राम पंचायत मीठडा खुर्द में संयोजित करने के आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :-

श्री ओम प्रकाश बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 06.10.2021

1. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलांट द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) धोरीमन्ना के समक्ष प्ररूप-1 में दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत मीठडा खुर्द के वार्ड संख्या 1 की सामान्य निवासी है, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर लिया जाये। इस पर क्षेत्र के लिये नियुक्त बीएलओ द्वारा अपनी अभिशंषा एवं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उक्त मतदाता का मकान मीठडा खुर्द में है तथा मीठडा खुर्द में निवास कर रहा है जिसका नाम जोड़ा जाना उचित है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) धोरीमन्ना द्वारा दावा अस्वीकार करते हुए अपीलांट का नाम मतदाता सूची में जोड़ने से इनकार कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।



low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।
3. हमने अधिवक्ता अपीलांट को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) धोरीमन्ना द्वारा अपीलांट का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं करने से अपीलांट के अपने मत का प्रयोग करने के मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया है। अपीलांट ग्राम पंचायत मीठडा खुर्द का मूल निवासी हैं जो अपने परिवार के साथ निवास करते आ रहे हैं तथा इस ग्राम पंचायत मीठडा खुर्द की मतदाता सूची के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर मतदाता सूची में नाम सम्मिलित नहीं हैं। अपीलांट के दावा की जांच स्थानीय बीएलओ द्वारा की गई तथा स्पष्ट अभिशंषा की गई कि उक्त मतदाता का मकान मीठडा खुर्द में है तथा मीठडा खुर्द में निवास कर रहा है जिसका नाम जोड़ा जाना उचित है। अपीलांट के आवेदन को रेस्पोंडेंट्स द्वारा मनमाने तरीके से अस्वीकार कर अपीलांट के संवैधानिक अधिकारों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना की गई है। रेस्पोंडेंट्स द्वारा राजनीतिक दबाव में झूठी रिपोर्ट बनाकर अपीलांट के आबादी के पट्टाशुदा मकान को फर्जी तरीके से अतिक्रमण बताकर खेत में आवास बताते हुए नाम नहीं जोड़ा है जबकि मतदाता की यह स्वेच्छा है कि वह किस आवास में नाम जुडवाये। अपीलांट पिछले लम्बे समय से मीठडा आबादी क्षेत्र में निवास करते हैं इसलिये अपील स्वीकार कर अपीलांट का नाम भाग संख्या 156 में जोड़ा जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाये जावें एवं अपीलांट का नाम ग्राम पंचायत लोलों की बेरी के भाग संख्या 151 से हटाकर भाग संख्या 156 ग्राम पंचायत मीठडा खुर्द की मतदाता सूची में जोड़े जाने का आदेश फरमावें।



kon
जिला कलक्टर
बारामुल्ला

4. हमने अपीलांट के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ प्राधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) धोरीमन्ना से प्राप्त मूल अपीलाधीन अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रारूप-1 पर क्षेत्र के लिये नियुक्त बीएलओ की टिप्पणी प्राप्त की गई है एवं अपीलाधीन आदेश के द्वारा दावा अस्वीकार कर अपीलांट का नाम ग्राम पंचायत मीठडा खुर्द की मतदाता सूची वार्ड सं. 1 में सम्मिलित किये जाने से इनकार किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने में प्रकटतया तथ्य की भूल किया जाना प्रतीत होता है क्योंकि अपीलांट के आवेदन पत्र पर बीएलओ द्वारा स्पष्ट अभिशंषा की गई है कि अपीलांट का निवास ग्राम मीठडा खुर्द की आबादी में है तथा नाम जोडा जाना उचित है। इस अभिशंषा के प्रतिकूल कोई तथ्य एवं दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है और न ही किसी व्यक्ति द्वारा उक्त नाम सम्मिलित किये जाने बाबत कोई आक्षेप प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अपीलांट का निवास अन्यत्र होने एवं अन्यत्र मतदाता सूची में नाम होने के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने से प्रक्रियात्मक त्रुटि की है, जिससे अपीलार्थी की जानकारी के बिना उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने का दावा खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तथ्यों की पूर्ण जांच, अपीलांट को सुनवाई का अवसर एवं विधि के बाध्यकारी प्रावधानों की पालना नहीं करना स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है तथा इस आधार पर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ प्राधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) धोरीमन्ना



don
जिला कलक्टर
बाडमेर

द्वारा ग्राम पंचायत मीठडा खुर्द के वार्ड सं. 1 की मतदाता सूची में अपीलांत का नाम सम्मिलित किये जाने का दावा अस्वीकृत करने का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) धोरीमन्ना को पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांत को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलांत के सामान्य निवास की जांच कर एवं साक्ष्य सबूत अभिलेख पर लेते हुए नये सिरे से नियमानुसार दावे का निस्तारण करने की कार्यवाही करें। इसके साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि अपीलांत का दावा निस्तारित करते समय अपीलांत का अन्यत्र कहीं मतदाता सूची में दोहरा नाम होने के तथ्य की भी जांच की जावे तथा अन्यत्र मतदाता सूची में नाम पाये जाने पर विलोपन की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Kan
(लोक बंधु)
जिला कलक्टर बाड़मेर
बाड़मेर